[भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग II धारा 3 उप धारा (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंदीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड

(अन्वेषन - सीमा शुल्क)

दिनांक: 14 अक्टूबर, 2020

अधिसूचना संख्या ..98.../2020 - सीमा शुल्क (एन.टी.)

जी.एस.आर.......(ई) - सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 110 की उप धारा (1ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केंद्र सरकार एतदद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के अधिसूचना संख्या 31 /86 - सीमा शुल्क दिनांक 05 फरवरी 1986 में , जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग - II, धारा 3 , उप धारा (i) में जीएसआर 87 (ई) दिनांक 05 फरवरी 1986 में प्रकाशित है, में निम्नलिखित आगे के संशोधन करता है, जैसे कि :-

(i) प्रारम्भिक अनुच्छेद में शब्द "नाशवान" के पश्चात "या खतरनाक" शब्दों को सम्मिलित किया जाना चाहिए ;

(ii) अनुसूची में मद संख्या 18 और उससे संबन्धित प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित मद संख्याओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए, जैसे कि :-

"19. गोलाबारूद;

20. विस्फोटक और अन्य दहनशील सामग्री और उससे बनी वस्तुएँ;

21. खतरनाक माल."

फ.नं. 394/02(77)/2020-आयुक्त(अन्वेषन -सीमा शुल्क)

14.10.2020

(सूरज कुमार गुप्ता)

संयुक्त आयुक्त (अन्वेषन - सीमा शुल्क)

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग - II, धारा 3, उप धारा (i) में जीएसआर 87(ई) , दिनांक 05 फरवरी 1986 में प्रकाशित की गयी एवं उसके बाद जीएसआर 659(ई) दिनांक 30 जून 1989; जीएसआर 31 (ई) दिनांक 25 जनवरी 1993; जीएसआर 99 (ई) दिनांक 01 मार्च 1995 ; जीएसआर 120 (ई) दिनांक 11 मार्च 1996; जीएसआर 720(ई) दिनांक 22 दिसम्बर 1997; जीएसआर 671(ई) दिनांक 12 नवम्बर 1998; जीएसआर 117 (ई) दिनांक 16 फरवरी 2004 ; जीएसआर 226 (ई) दिनांक 11 अप्रैल 2005; जीएसआर 170(ई) दिनांक 07 मार्च 2008 एवं जीएसआर 994 (ई) दिनांक 15 दिसम्बर 2015 द्वारा संशोधन किए गए ।